मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग **दिनांक: 02-03-2016**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
280	तारांकित प्रश्न सं.15 (प्रश्न क्रं.2395) दि. 02-03-2016 (श्री कमलेश्वर पटेल)	भारत सरकार की फसल बीमा योजना प्रदेश में शीघ्र लागू किया जाना।	अभी हम इसके टेण्डर कॉल करेंगे और खरीफ सीजन से इसको लागू करेंगे।		
281	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.46 (प्रश्न क्रं.947) दि. 02-03-2016 (श्री हरदीप सिंह डंग)	मंदसौर जिले में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत खरीफ मौसम 2015 हेतु क्षतिपूर्ति का आंकलन शीघ्र कराया जाकर पीड़ित/प्रभावित कृषकों को बीमा की राशि का वितरण किया जाना।	खरीफ मौसम 2015 में बीमित कृषकों की क्षतिपूर्ति आंकलन प्रक्रियाधीन है।		
282	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.92 (प्रश्न क्रं.2253) दि. 02-03-2016 (श्री शान्तिलाल बिलवाल)	झाबुआ जिले में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत खरीफ मौसम 2015 हेतु क्षतिपूर्ति का आंकलन शीघ्र कराया जाकर पीड़ित/प्रभावित कृषकों को बीमा की राशि का वितरण किया जाना।	क्षतिपूर्ति राशि का आंकलन कार्य प्रक्रियाधीन है।		
283	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.173 (प्रश्न क्रं.3911) दि. 02-03-2016 (श्री संजय पाठक)	(1) हरदा जिले के श्री जे.आर.हेडाउ तत्कालीन उपसंचालक कृषि के विरूद्ध शिकायत की जांच एवं टीकमगढ़ जिले में पदस्थी के दौरान संयुक्त संचालक सागर द्वारा की गई जांच के जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना। (2) तत्कालीन सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, सीहोर के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच की कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण की जाकर कार्यवाही की जाना।	(1) जी हां। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है। (2) श्री जे.आर.हेडाऊ, तत्कालीन सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, सीहोर की विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
284	अतारांकित प्रश्न सं.85 (प्रश्न क्रं.2803) दि. 02-03-2016 (श्री शंकर लाल तिवारी)	सतना जिले में कृषि विभाग की समस्त विभागीय योजनाओं में की गई अनियमितता की कराई गई जांच में जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) विभागीय जांच आदेशित की जा चुकी है। (2) विभागीय जांच पूर्ण होने पर गबन का प्रकरण परिलक्षित होने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।		
285	अतारांकित प्रश्न सं.102 (प्रश्न क्रं.3140) दि. 02-03-2016 (श्री रामनिवास रावत)	श्योपुर जिले में कृषि विभाग में संचालित योजनाओं में आर्थिक अनियमितताओं की जांच एवं जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) जांच प्रक्रियाधीन है। (2) गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।		
286	अतारांकित प्रश्न सं.110 (प्रश्न क्रं.3343) दि. 02-03-2016 (कुँवर सौरभ सिंह)	कृषि उपज मण्डी समिति कटनी से जारी अनुज्ञा पत्रों का सत्यापन नहीं किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) कृषि उपज मंडी कटनी से जारी 728 अनुज्ञा पत्र सत्यापन हेतु लंबित है। (2) सत्यापन की कार्यवाही की जावेगी।		
287	अतारांकित प्रश्न सं.111 (प्रश्न क्रं.3352) दि. 02-03-2016 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	कृषि उपज मण्डी समिति कटनी में लेखा सत्यापन की नस्तियां उपलब्ध नहीं कराने के जिम्मेदार कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।		
288	अतारांकित प्रश्न सं.115 (प्रश्न क्रं.3415) दि. 02-03-2016 (श्री घनश्याम पिरोनियाँ)	दतिया जिले की भाण्डेर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में हितग्राहियों को चैपकटर, सीड्रिल आदि कृषि यंत्र वितरण किये जाने में की गई अनियमितता के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा की गई शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच समिति गठित कर दी गई है, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग **दिनांक: 02-03-2016**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
289	तारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्र.2066) दि. 02-03-2016 (श्री फुन्देलाल सिंह मार्को)	अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 12वें एवं 13वें वित्त आयोग के माध्यम से पी.पी.सी. कार्य में की गई अनियमितता की जांच संबंधित उपयंत्री को हटवाकर मा.सदस्य की उपस्थिति में कराया जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	(1) शहडोल संभाग के सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर से माननीय विधायक जी को साथ ले जाकर जांच करवा लेंगे। (2) विचार कर लेंगे।		
290	तारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्र.401) दि. 02-03-2016 (श्री संजय शर्मा)	नरसिंहपुर जिले में मनरेगा योजनान्तर्गत नर्मदा परिक्रमा पथ निर्माण कार्य में अनियमितता की जांच एवं शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाना।	(1) जिन्होंने काम नहीं कराये हैं वे काम कराये इसके लिए भी निर्देशित करेंगे। (2) हम यहां से किसी अधिकारी को भेजकर उसकी जांच करा लेंगे और यदि कोई अनियमितता होगी तो कार्यवाही भी करेंगे। (3) बहुत अच्छा सुझाव है, इस पर विचार करेंगे।		
291	तारांकित प्रश्न सं.7 (प्रश्न क्र.3585) दि. 02-03-2016 (श्री शैलेन्द्र पटेल)	स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा.) अंतर्गत भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा सीहोर जिले सहित प्रदेश में तकनीकी रूप से अनुपयोगी शौचालयों की मरम्मत की जाना।	जो टूटे-फूटे है, हम उनकी मरम्मत करवा देंगे।		
292	तारांकित प्रश्न सं.10 (प्रश्न क्र.2585) दि. 02-03-2016 (श्री दिव्यराज सिंह)	रीवा जिले के जवा विकासखण्ड में महुआ टोला से भखरवार मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र कराया जाना।	उसमें हम शीघ्र कार्य कर रहे है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
293	तारांकित प्रश्न सं.11 (प्रश्न क्रं.3460) दि. 02-03-2016 (श्री गिरीश गौतम)	(1) रीवा जिले की ग्राम पंचायत महमूदपुर की सरपंच/सचिव के विरूद्ध मनरेगा योजना के तहत कराये गये कार्यो में आर्थिक अनियमितता में की गई शिकायत की मा.सदस्य की उपस्थिति में सुप्रीन्टेडेंट इंजीनियर रीवा से जांच कराई जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना । (2) जांच एक कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण का, एक आरईएस और जिला पंचायत के किसी अधिकारी को सम्मिलित कर कराया जाना ।	(1) हम सदस्य की उपस्थिति में सुप्रीन्टेंडेंट इंजीनियर, रीवा से जांच करा लेंगे और जो भी निष्कर्ष होगा उसके आधार पर कार्यवाही करेंगे। (2) करा लेंगे ।		
294	तारांकित प्रश्न सं.12 (प्रश्न क्रं.68) दि. 02-03-2016 (श्री प्रहलाद भारती)	पंचायत समन्वय अधिकारियों की नियम विरूद्ध की गई पदोन्नति की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना ।	(1) हम जांच करा लेंगे यदि नियम विरूद्ध पदोन्नतियां की गई होंगी तो उन्हें रद्द कर देंगे । (2) भोपाल से अधिकारी भेजकर जांच करा लेंगे । (3) तथ्यपरक सूचना लिखकर दे दें हम जांच करा लेंगे नियम विरूद्ध कोई पदोन्नति होगी तो उसको निरस्त कर देंगे ।		
295	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.23 (प्रश्न क्रं.437) दि. 02-03-2016 (डॉ. गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले की जनपद पंचायत लहार की ग्राम पंचायत बररूआ एवं कुरथर में अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	जांच प्रकरणों में जांच उपरांत, जांच प्रतिवेदन अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।		
296	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.50 (प्रश्न क्रं.1069) दि. 02-03-2016 (श्री लाखन सिंह यादव)	ग्वालियर जिले की भितरवार विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत नयागांव से चीनोर सड़क का उन्नयनीकरण की कार्यवाही शीर्घ पूर्ण की जाना।	(1) उन्नयनीकरण की कार्यवाही प्रस्तावित की है। (2) 22 कि.मी. लंबाई में उन्नयीनकरण का विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
297	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.70 (प्रश्न क्रं.1681) दि. 02-03-2016 (श्री सोहनलाल बाल्मीक)	छिन्दवाड़ा जिले की जनपद पंचायत परासिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राजधर पटेल द्वारा परासिया में आयोजित अन्त्योदय मेला 2015-16 हेतु टेन्ट व भोजन आदि व्यवस्था के लिए नियम विरूद्ध बिना निविदा बुलाये लाखो रूपये के बिलों का भुगतान किये जाने के लिए दोषी अधिकारी के विरूद्ध समय-सीमा में कार्यवाही की जाना।	अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है।		
298	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.97 (प्रश्न क्रं.2502) दि. 02-03-2016 (श्री सुन्दरलाल तिवारी)	रीवा जिले में वर्ष 2007-08 में एस.जी.आर. बाई योजना के तहत आवंटित खाद्यान्न घोटाले के संबंध में शासन को की गई शिकायत की प्राथमिक जांच उपरांत प्रकरण निष्पक्ष जांच हेतु ई.ओ.डब्ल्यू को शीघ्र सौपा जाना।	ई.ओ.डब्ल्यू में जांच हेतु प्रेषित किये जाने का प्रकरण प्रचलन में है।		
299	अतारांकित प्रश्न सं.13 (प्रश्न क्रं.349) दि. 02-03-2016 (श्री कालुसिंह ठाकुर)	धार जिले की ग्राम पंचायत पटलावद एवं ग्राम पंचायत कांकलपुरा के सचिव श्री अशोक वर्मा एवं श्री हरेसिंह कटारे द्वारा वित्तीय अनियमितता करते हुए अनियमित राशि आहरण की वसूली एवं नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) पुन: जांच कराई जाकर नियमानुसार वसूली प्रकरण दर्ज कराये जाने हेतु जनपद पंचायत धरमपुरी को निर्देशित किया गया है। राशि वसूली की कार्यवाही जनपद पंचायत नालछा द्वारा प्रचलित है। (2) श्री अशोक वर्मा, सचिव की पुन: जांच उपरांत वसूली योग्य अधिरोपित राशि की नियमानुसार वसूली की जायेगी। वसूली की कार्यवाही प्रचलित है।		
300	अतारांकित प्रश्न सं.32 (प्रश्न क्रं.1047) दि. 02-03-2016 (श्री रामपाल सिंह)	शहडोल जिले की जनपद पंचायत ब्यौहारी एवं जयसिंह नगर अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायतकर्मी/ सचिवों को लंबित वेतन/ मानदेय का भुगतान शीघ्र किया जाना।	शीघ्र भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।		
301	अतारांकित प्रश्न सं.55 (प्रश्न क्रं.1859) दि. 02-03-2016 (श्री मुकेश नायक)	पन्ना जिले की पवई विधान सभा क्षेत्र में पात्र ग्रामों को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाना।	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृति हेतु कार्यो के प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
302	अतारांकित प्रश्न सं.67 (प्रश्न क्रं.2365) दि. 02-03-2016 (श्री रामकिशन पटेल)	रायसेन जिले की जनपद पंचायत उदयपुरा की ग्राम पंचायत कुचवाड़ा में हाट बाजार का निर्माण ग्रामवासियों की भूमि पर नियम विरूद्ध किये जाने की शिकायत की जांच एवं जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर 10 फीट रास्ता छोड़कर निर्माण किया जाना ।	जी हां । शिकायत की जांच अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बरेली के द्वारा की गई । दिनांक 22.11.2014 में ग्राम पंचायत कुचवाड़ा में निर्देशित किया गया है ।		
303	अतारांकित प्रश्न सं.76 (प्रश्न क्रं.2537) दि. 02-03-2016 (श्री हितेन्द्र सिंह ध्यानसिंह सोलंकी)	खरगोन जिले की जनपद पंचायत बड़वाह में निलंबित सचिवों के विरूद्ध संस्थित जांच समय-सीमा में पूर्ण की जाकर जांच निष्कर्षों के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	सचिवों के विरूद्ध नियमानुसार जांच संस्थित की गई है । जांच उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जाती है ।		
304	अतारांकित प्रश्न सं.160 (प्रश्न क्रं.4043) दि. 02-03-2016 (श्री संजय शाह मकड़ाई)	हरदा जिले की जनपद पंचायत खिरकिया अंतर्गत ग्राम पंचायत जूनापानी भवरदी द्वारा वर्ष 2013 से 2015 की अवधि में कराये गये कार्यों में आर्थिक अनियमितताओं की प्राप्त शिकायत की जांच कराई जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना ।	एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी कार्यवाही लोकपाल मनरेगा म.प्र.भोपाल में प्रचलित है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

पुनर्वास विभाग **दिनांक: 02-03-2016**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
305	अतारांकित प्रश्न सं.109 (प्रश्न क्रं.3342) दि. 02-03-2016 (कुँवर सौरभ सिंह)	माधव नगर कटनी में पुनर्वास भूमि के पट्टे धारकों द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन कर एक से अधिक पट्टे गलत जानकारी देकर प्राप्त किये जाने एवं उक्त आवंटित प्लांटों/पट्टों पर अपात्र/अनाधिकृत व्यक्तियों का नामान्तरण राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	(1) इसकी पृथक से जांच कराई जा रही है । (2) जी हां। जांच की कार्यवाही प्रचलित है । (3) विस्तृत जांच करा कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी । जी हां । पुनर्वास नीति के तहत कार्यवाही की जावेगी । जी हां । पुनर्वास भूमि के प्लाटों को वारिसाना हक के बजाय अनाधिकृत व्यक्तियों के नाम किया गया है ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

परिवहन विभाग **दिनांक: 02-03-2016**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
306	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.125 (प्रश्न क्रं.2947) दि. 02-03-2016 (श्री शैलेन्द्र जैन)	सागर जिले में कई विभागों द्वारा बगैर निविदा एवं बिना टेक्सी परमिट के वाहनों को किराये पर लेकर राजस्व की हानि पहुँचाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच करायी जा रही है । जांचोपरांत विधि अनुसार आगामी कार्यवाही की जा सकेगी ।		
307	अतारांकित प्रश्न सं.88 (प्रश्न क्रं.2931) दि. 02-03-2016 (डॉ. रामकिशोर दोगने)	राज्य परिवहन निगम विदिशा के कर्मचारी द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन को की गई शिकायत का शीघ्र निराकरण किया जाना व लंबित बोनस की राशि का भुगतान किया जाना ।	उक्त शिकायत का नियमानुसार निराकरण शीघ्र किया जावेगा ।		
308	अतारांकित प्रश्न सं.128 (प्रश्न क्रं.3608) दि. 02-03-2016 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	महिदपुर से उज्जैन व्हाया घोंसला मार्ग पर शीघ्र बस का संचालन प्रारंभ किया जाना ।	प्रश्नांकित मार्ग पर एक सप्ताह के अंदर बस संचालन प्रारंभ कर दिया जावेगा ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

राजस्व विभाग **दिनांक: 02-03-2016**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
309	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.12 (प्रश्न क्रं.214) दि. 02-03-2016 (श्री कैलाश चावला)	जिला नीमच की तहसील मनासा, रामपुरा, नीमच एवं जीरन अन्तर्गत घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति के लोगों को शासन की नीति अनुसार शीघ्र सर्वे कराकर भूमि के पट्टे आवंटन किया जाना।	आवंटन की कार्यवाही की जावेगी।		
310	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.19 (प्रश्न क्रं.377) दि. 02-03-2016 (श्री सुशील कुमार तिवारी)	जबलपुर जिले की पनागर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अवैध कॉलोनी का निर्माण किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	अवैध कॉलोनियों के संबंध में जांच कार्यवाही गतिशील है। जांच उपरांत प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जावेगी।		
311	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.112 (प्रश्न क्रं.2763) दि. 02-03-2016 (श्री गोपाल परमार)	आगर जिले के आगर नगर में स्थित रातड़िया तालाब के आसपास की शासकीय भूमि पर किये अवैध अतिक्रमण को शीघ्र हटाया जाना।	अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका आगर द्वारा कार्यवाही की जा रही है।		
312	अतारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.103) दि. 02-03-2016 (श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा)	रतलाम जिले में खेल मैदान हेतु भूमि का चयन कर शीघ्र आरक्षित किया जाना।	रतलाम जिले में शेष ग्रामों में भूमि चयन कर आरक्षित करने के निर्देश दिये गये है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
313	अतारांकित प्रश्न सं.60 (प्रश्न क्रं.2112) दि. 02-03-2016 (श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया)	जिला मुरैना की दिमनी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत राजस्व ग्राम योग्य मजरों को शीघ्र राजस्व ग्रामों में सम्मिलित किया जाना।	समयावधि में कार्य पूर्ण कर मजरों को राजस्व ग्रामों में शामिल किया जावेगा।		
314	अतारांकित प्रश्न सं.103 (प्रश्न क्रं.3155) दि. 02-03-2016 (डॉ. रामकिशोर दोगने)	प्रदेश में गैर शासकीय संस्थाओं और सहकारी गृह निर्माण संस्थाओं को शासकीय भूमि आवंटित किये जाने हेतु शीघ्र नीति बनाई जाना।	नीति बनाये जाने संबंधी कार्यवाही प्रचलित है।		
315	अतारांकित प्रश्न सं.108 (प्रश्न क्रं.3270) दि. 02-03-2016 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)	रतलाम जिले की कृषि उपज मंडी समिति जावरा के अंतर्गत ग्राम सुखेड़ा (तहसील पिपलौदा) में उपमंडी हेतु शासकीय भूमि नियमानुसार आवंटित की जाना।	(1) शासन स्तर पर कार्यवाही प्रचलित है। (2) नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

लोक निर्माण विभाग **दिनांक: 02-03-2016**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
316	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.110) दि. 02-03-2016 (श्री घनश्याम पिरोनियाँ)	(1) राजमार्ग क्र-45 मिहोना-लहार- दबोह-भाण्डेर-चिरगांव मार्ग में यातायात में बाधित विद्युत खम्भे नहीं हटाने एवं गुणवत्ताविहीन मार्ग निर्माण कराये जाने आदि की उच्च स्तरीय जांच माननीय सदस्य की उपस्थिति में समय-सीमा में कराई जाना । (2) मार्ग निर्माण के कोर नमूने की शासकीय लेब में जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	(1) सड़क निर्माण के कोर टेस्ट लेकर विभागीय लेब में जांच करायेंगे । (2) मैं उच्च स्तरीय जांच कराने के लिए सहमत हूं। जिस दिन जांच के लिए कोई टीम जायेगी तो माननीय विधायक जी को भी सूचित किया जायेगा उनकी उपस्थिति में जांच हो जायेगी और अगर कोई गलती पाई गई तो आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । (3) एक माह में जांच करा ली जायेगी । (4) जब भी जांच करने टीम जायेगी आपको और माननीय विधायक जी को सूचना दी जायेगी और आपकी उपस्थिति में जांच होगी । (5) कोर से नमूने लिए जाएंगे और उन नमूनों को ग्वालियर स्थित शासकीय लेब में टेस्ट कराया जाएगा, चाहे वह डामर रोड हो, चाहे सीसी रोड हो, अगर उसमें कोई कमी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

श्रम विभाग **दिनांक: 02-03-2016**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
317	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.165) दि. 02-03-2016 (इन्जी. प्रदीप लारिया)	(1) सागर जिले के नरयावली विधान सभा क्षेत्र में स्थित औद्योगिक क्षेत्र सिदगुवा एवं चनाटोरिया की फैक्ट्रियों में स्थानीय श्रमिकों/नागरिकों को रोजगार नहीं दिए जाने का भौतिक सत्यापन उद्योग एवं श्रम विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कराकर नियमानुसार स्थानीय लोगो को रोजगार मुहैया कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना। (2) परीक्षण के समय स्थानीय विधायक को भी साथ में रखा जाना।	(1) हम उद्योग विभाग से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि संयुक्त रूप से वहां पर भौतिक सत्यापन करे और जो भी नियमानुसार होगा, वह कार्रवाई करेंगे। (2) साथ में रख लेंगे।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

सहकारिता विभाग **दिनांक 02.03.2016**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
318	तारांकित प्रश्न सं.16 (प्रश्न क्रं.4016) दि. 02-03-2016 (श्री आरिफ अकील)	रोहित गृह निर्माण सहकारी समिति भोपाल के प्लाटों के आवंटन में विभागीय अधिकारी/ कर्मचारियों की संलिप्तता अपात्र सदस्यों को आवंटित प्लाट की जांच निश्चित समय सीमा में कराई जाकर जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) हमारे विभाग के कर्मचारियों-अधिकारियों की जो हमारे ऑडिटर है और भी जो कर्मचारी है उनकी संलिप्तता होगी उसकी हम जांच करवा रहे है। जिन सदस्यों को प्लाट नहीं मिल पाये है उन सदस्यों के लिय प्लाट दिलाने का काम खात तौर से जिन अपात्र सदस्यों को प्लाट मिल गये है, उनकी रजिस्ट्रियां निरस्त कराने का प्रयास कर रहे है। (2) हम तीन महीने में सम्पूर्ण जांच करके अगले विधान सभा सत्र के पहले तक आपको अवगत करवा देंगे। (3) हम प्रयास भी करेंगे हम जल्दी से जल्दी इसमे कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे। (4) विधान सभा के अगले सत्र में इसकी पूरी रिपोर्ट आपको दे देंगे। (5) जो अपात्र लोग है, उन पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही करेंगे।		
319	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.47) दि. 02-03-2016 (श्री राम लल्लू वैश्य)	जिला शहडोल के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित जयसिंह नगर के भवन निर्माण में की गई अनियमितता की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	जी हां, शिकायत की जांच तहसीलदार जयसिंहनगर द्वारा की जा रही है, शेष जांच निष्कर्षाधीन।		
320	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.86 (प्रश्न क्रं.2154) दि. 02-03-2016 (श्री विजय सिंह सोलंकी)	खरगोन जिले की अवंति सूत मिल सनावद में विगत 05 वर्षों में नियम विरूद्ध की गई नियुक्तियों की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	अनियमित कार्यकलापों के संबंध में कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
321	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.101 (प्रश्न क्रं.2547) दि. 02-03-2016 (श्री मानवेन्द्र सिंह)	जिला छतरपुर के नगर पंचायत/परिषद सटई अंतर्गत गुरूदेव प्राथमिक उप.स भण्डार मर्यादित सटई एवं अन्य उपभोक्ता भण्डारों का नियम विरूद्ध किये गये पंजीयन की जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	उक्त भंडारों के पंजीयन के संबंध में जांच के निर्देश दिये गये है।		
322	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.140 (प्रश्न क्रं.3257) दि. 02-03-2016 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित लैम्पस, देवगवां जिला अनूपपुर के प्रभारी प्रबंधक द्वारा बिना स्वीकृति एवं नियमों के विरूद्ध विक्रेता एवं तुलावटी के पद पर की गई भर्ती के संबंध में प्राप्त शिकायत की, जांच में जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध समय सीमा में कार्यवाही की जाना।	जांच प्रतिवेदन का परीक्षण कर पाये गये तथ्यों के आधार पर संस्था प्रबंधक के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश उप आयुक्त, सहकारिता, जिला अनूपपुर को दिये गये है।		
323	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.141 (प्रश्न क्रं.3258) दि. 02-03-2016 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित लैम्पस देवगवां जिला अनूपपुर के कतिपय अधिकारियों द्वारा पात्र हितग्राहियों को अनुग्रह राशि वितरित न कर उनके नाम पर फर्जी खाते खोलकर राशि हड़प किये जाने की शिकायत पर गठित जांच दल के जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	कमिश्नर शहडोल संभाग, शहडोल द्वारा जांच हेतु जांच दल का गठन किया गया है। जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। शेष जांच निष्कर्षाधीन।		
324	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.183 (प्रश्न क्रं.4073) दि. 02-03-2016 (श्री प्रदीप अग्रवाल)	जिला विपणन कार्या. दतिया के अधिकारियों द्वारा खाद वितरण में अनियमितता किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	जांच कराई जा रही है, कार्रवाई जांच निष्कर्षो के अधीन।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
325	अतारांकित प्रश्न सं.14 (प्रश्न क्रं.451) दि. 02-03-2016 (डॉ. गोविन्द सिंह)	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मुरैना शाखा कैलारस के अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. राजौधा द्वारा फर्जी ऋण वितरण किए जाने आदि में की गई जांच के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना ।	(1) जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., राजौधा के संचालक मण्डल को हटाने के लिए सहकारी अधिनियम की धारा 53(2) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है तथा दोषी कर्मचारियों एवं संस्था के संचालक मण्डल के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु थाना चिन्नौनी, जिला मुरैना को आवेदन प्रस्तुत किया गया है । बैंक द्वारा दोषी कर्मचारी की सेवा समाप्त करने तथा राशि की वसूली के निर्देश दिये गये है । (2) जांच में दोषी पाये गये संस्था प्रबंधक एवं संचालक मण्डल के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु थाना चिन्नौनी जिला मुरैना में आवेदन प्रस्तुत किया गया ।		
326	अतारांकित प्रश्न सं.137 (प्रश्न क्रं.3742) दि. 02-03-2016 (श्रीमती शीला त्यागी)	रीवा जिले के सेवा सहकारी समिति गढवा, चांदी, जवा, मनगवां, नईगढ़ी, सितलहा, टंगहा (नौवस्ता) रीमारी एवं सिरमौर द्वारा दिये गये ऋण के अनुपात में कम अंशपूंजी जमा कराये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना ।	उत्तरदायी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी । जांच उपरांत स्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।		
327	अतारांकित प्रश्न सं.151 (प्रश्न क्रं.3940) दि. 02-03-2016 (कुमारी निर्मला भूरिया)	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. झाबुआ द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2015 तक की अवधि में अपात्र व्यक्तियों/संस्थाओं को ऋण स्वीकृत किये जाने की प्राप्त शिकायतों की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना तथा बकायादारों ऋणियों से ऋण की राशि शीघ्र वसूल की जाना ।	(1) जी हां । जांच प्रक्रियाधीन है । शेष जांच निष्कर्षाधीन । (2) बकायादार सदस्यों के विरूद्ध सहकारी अधिनियम की धारा 84 के तहत कार्यवाही की जा रही है। (3) जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग **दिनांक: 02-03-2016**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
328	तारांकित प्रश्न सं.5 (प्रश्न क्रं.1609) दि. 02-03-2016 (कुँवर विक्रम सिंह)	मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत अप्रैल 2012 से अप्रैल 2015 तक की अवधि में छतरपुर जिले के जनपद पंचायत राजनगर, लवकुशनगर, नौगांव, छतरपुर एवं बिजावर में वर-वधुओं को घटिया किस्म की उपहार सामग्री क्रय कर प्रदाय किये जाने की जांच प्रश्नकर्ता सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सीईओ की समिति बनाकर कराई जाना एवं जांच निष्कर्षो के आधार पर संबंधित दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) यदि क्रय में कोई गड़बड़ी हुई होगी तो हम उसकी जांच करा लेंगे । (2) जिला पंचायत के सीईओ और अध्यक्ष दोनों से जांच करा लेंगे । (3) माननीय विधायक भी शामिल हो जाएंगे उसमें तीन लोग हो जाएंगे क्या दिक्कत है ।		